

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ  
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक:- एफ. 7(5) निपसिड/ इन्दौर /प्रशि./आईसीडीएस/17/ 33680


जयपुर, दिनांक: 22.2.18

**कार्यालय आदेश**

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), इन्दौर द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2018 से 09 मार्च, 2018 तक आयोजित "कुपोषण प्रबंधन पर अनुशिक्षण कार्यक्रम" में निम्नांकित अधिकारियों/पर्यवेक्षकों को नामांकित कर प्रशिक्षण में भाग लेने के निर्देश प्रदान किये जाते हैं, की वे विलम्बतन दिनांक 05.03.2018 को सायं अथवा दिनांक 06.03.2018 को प्रातः 9:00 बजे तक राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), बड़ा बांगड़दा, गोमटगिरि, (एम.पी.एस.ई.बी. पावर हाउस के सामने) हातोद रोड, गांधी नगर, इन्दौर में आवश्यक रूप से उपस्थिति दें।

1. श्री जितेन्द्र कुमार मीणा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, भीम (राजसंमद)
2. श्री महाराम दौराता, बाल विकास परियोजना अधिकारी, तिजारा (अलवर)
3. श्री सत्य प्रकाश शुक्ला, बाल विकास परियोजना अधिकारी, गंगापुर (सवाईमाधोपुर)
4. श्री मुकेश कुमार शर्मा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, उदयपुरवाटी (झुंझुनू)
5. श्री रवि मित्तल, बाल विकास परियोजना अधिकारी, किशनगंज शाहबाद (बारां)
6. श्री जितेन्द्र कुमार जिन्दल, बाल विकास परियोजना अधिकारी, (हाल) निदेशालय, जयपुर
7. श्रीमती संतोष जैन, महिला पर्यवेक्षक, सांगानेर शहर (जयपुर)
8. श्रीमती राजकुमारी शर्मा, महिला पर्यवेक्षक, मसूदा (अजमेर)
9. श्रीमती कान्ता माथुर, महिला पर्यवेक्षक, अराई (अजमेर)
10. श्रीमती नीलम खान, महिला पर्यवेक्षक, सांगोद (कोटा)
11. श्रीमती सुशीला सुवालका, महिला पर्यवेक्षक, सांगोद (कोटा )


प्रशिक्षणार्थियों को टी.ए./डी.ए. का भुगतान उनकी पात्रता अनुसार संस्थान के नियमानुसार किया जायेगा जो कि भारत सरकार के अनुरूप हैं। नियमानुसार रेल किराया/बस किराए (एसी/डीलक्स कोच) की प्रतिपूर्ति टीए बिल के साथ टिकट का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद ही की जायेगी।

  
आयुक्त

समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- एफ. 7(5) निपसिड/ इन्दौर /प्रशि./आईसीडीएस/17/ 33681-701 जयपुर, दिनांक: 22.2.18

1. डॉ. अनील व्ही. बी. बाबू क्षेत्रीय निदेशक, (प्रभारी) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), बड़ा बांगड़दा, गोमटगिरि, (एम.पी.एस.ई.बी. पावर हाउस के सामने) हातोद रोड, गांधी नगर, इन्दौर - 453112
2. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्.....
3. संबंधित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग .....
4. संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग.....
5. संबंधित महिला पर्यवेक्षक, महिला एवं बाल विकास विभाग.....
6. उपनिदेशक/एसीपी, कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

  
उप निदेशक (प्रशिक्षण)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर।